

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वरलू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : 25 अक्टूबर, 2012

विषय : वित्तीय वर्ष 2012-1 में दैवीय आपदा राहत कार्यों हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश फायर सर्विस लखनऊ के पत्र संख्या-बाइस-एफएस(टी)-202-2012, दिनांक 06 जून, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में दैवी आपदा से निपटने हेतु प्रथम चरण में 50 अग्निशमन केन्द्रों को सुदृढ़ किये जाने हेतु न्यूनतम अग्निशमन उपकरणों/वाहनों/मशीनों एवं संयंत्रों/फेब्रीकेशन हेतु निम्नलिखित प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन मांगी गई कुल धनराशि का 50 प्रतिशत रु0 7,22,75,000/- (रुपये सात करोड़ बाईस लाख पचहत्तर हजार मात्र) निम्न विवरण के अनुसार आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र० सं०	मद	वांछित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
1	वाटर टेण्डर टाइप बी छोटा का फेब्रीकेशन (बाडी का फेब्रीकेशन+चेसिस का क्रय)	10,50,00,000 / -	5,25,00,000 / -
2	जीप टोइंग व्हेकिल-जीप-ट्रेलर को खींचने के लिए	3,00,00,000 / -	1,50,00,000 / -
3	पोर्टेबल पम्प छोटा (275लपीएम)	62,50,000 / -	31,25,000 / -
4	डिलीवरी होज पाइप 63 एमएम डायामीटर (01 अग्निशमन केन्द्र हेतु 10 लेन्थ) (एक लेन्थ = 30मीटर)	22,50,000 / -	11,25,000 / -
5	डिलीवरी होज कपलिंग 63 एमएम डायामीटर (मेल-फीमेल) (01 अग्निशमन केन्द्र हेतु 10 जोड़ा (मेल-फीमेल))	10,50,000 / -	5,25,000 / -
	कुल	14,45,50,000 / -	7,22,75,000 / -

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि बचते सम्भावित हो तो उन्हें दिनांक 31 मार्च 2013 से पूर्व आपदा राहत निधि के नाम से बने बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से शासन को अनिवार्य रूप से समर्पित कर दिया जाये।

4. आपदा राहत निधि से स्वीकृति धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यों हेतु ही किया जाय। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न

किया जाय। प्रमुख सचिव गृह विभाग उ०प्र० शासन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुई हो।

5. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

6. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकर कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय

(एल० वेंकटेश्वरलू)
सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या 2381 (1)/1-10-2012-14(23)/2004-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को यूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2-अपर पुलिस महानिदेशक उ०प्र० फायर सर्विस इन्दिरा भवन, लखनऊ
- 3-आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उ०प्र० लखनऊ
- 4-वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे राहत की वेबसाइट <http://rahataup.nic.in> पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
- 5-वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, राहत आयुक्त संगठन।
- 6-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 8-समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11 राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Rmd.

(आर०एन० द्विवेदी)
अनु सचिव